- वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक यन्त्र की विफलता के सम्बन्ध में सूचना देता है और उसके प्रतिवेदन पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है
- संकटकालीन स्थिति में वह राज्य के अंदर राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है
- संविधान के द्आारा किन्हीं राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष कार्य के संबंध में सविवेकीय शक्ति भी प्रदान की गयी है
- नगालैंड, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय और तिरिपुरा के राज्यपालों को उनके अपने विवेक पर विशिष्ट कार्य कार्यान्वित करने के लिए सौंपे गए है।